

भारत में वचाराधीन कैदी मताधिकार से वंचति

प्रलिमिंस के लयि:

लोकसभा चुनाव, [मताधिकार](#), [लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951](#), [मौलकि अधिकार](#), [भारत का नरिवाचन आयोग](#)

मेन्स के लयि:

भारत में वचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचति रखने के कानून, वचाराधीन कैदियों का मताधिकार, [लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चल रहे 18वीं लोकसभा के [चुनाव](#) के मददेनज़र, देश भर की जेलों में बंद चार लाख से अधिक [वचाराधीन कैदी](#) व्यापक कानूनी प्रतबिंध के कारण अपने [मताधिकार](#) का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।

- [लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951](#) (Representation of People Act, 1951- RPA) जेल में बंद व्यक्तियों के लयि मतदान पर प्रतबिंध लगाता है, भले ही वे दोषी ठहराए गए हों या मुकदमे की प्रतीक्षा में हों।

नोट:

- वचाराधीन कैदी वह व्यक्ती होता है जसि पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा होता है या जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रमिांड में कैद होता है या वह व्यक्ती जसि पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा होता है।
 - [वधिआयोग की 78वीं रपिर्ट](#) में 'वचाराधीन कैदी' की परभाषा में उस व्यक्ती को भी शामिल कयिा गया है जो जाँच के दौरान न्यायकि अभरिका में होता है।
- [भारत में अपराध, 2022 रपिर्ट](#) के डेटा से पता चलता है कलिगभग 500,000 से अधिक व्यक्ती, अपने कारावास के कारण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे।
 - [राष्ट्रीय अपराध रकिर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत की जेलों में 4,34,302 वचाराधीन कैदी थे, जो जेल में बंद कुल कैदियों की संख्या 5,73,220 का 76% थे।

वचाराधीन कैदियों को मतदान से रोका क्यों जाता है?

- लोक प्रतनिधित्व अधनियिम की धारा 62(5):
 - कारावास या नरिवासन की सज़ा के तहत या पुलसि की वैध अभरिका में जेल में बंद कसिी व्यक्ती को कसिी भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - मतदान से प्रतबिंधति होने के बावजूद, जसि व्यक्ती का नाम [मतदाता सूची](#) में है, वह मतदान करेगा।
 - मतदान पर प्रतबिंध कसिी मौजूदा कानून के तहत [नवारिक नरिध](#) में रखे गए व्यक्ती पर लागू नहीं होता है।
 - इस प्रावधान को [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने बरकरार रखा है, जसिमें संसाधनों की कमी और आपराधकि पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी परदृश्य से दूर रखने की आवश्यकता जैसे कारणों का उल्लेख कयिा गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनावों को संवधान की 'आधारभूत संरचना' के भाग के रूप में मान्यता देता है, लेकनि यह मतदान के अधिकार (अनुच्छेद 326) और नरिवाचति होने को मौलकि अधिकारों के बजाय वैधानकि अधिकार में अंतर स्पष्ट करता है, जो लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951 जैसे कानूनों द्वारा लगाए गए नयिमों के अधीन है।
 - भारतीय संवधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, 18 वर्ष से अधिक की आयु

वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जब तक कि उसे अनवासी, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए।

■ **दोषसिद्धि के बाद ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध:**

- RPA, 1951 की धारा 8 किसी व्यक्ति को केवल कुछ अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने पर ही **चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, न कि केवल आरोप लगाए जाने पर।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक आरोपों वाले या झूठे शपथ-पत्र दाखिल करने वालों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारज कर दी है, जिसमें कहा गया है कि केवल वधायिका ही RPA, 1951 में परिवर्तन कर सकती है।
- **अयोग्यता के अपवाद:**
 - **भारत निर्वाचन आयोग** कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता की अवधि को परिवर्तित कर सकता है।
 - एक अयोग्य सांसद या वधायक तब भी चुनाव लड़ सकता है यदि उच्च न्यायालय में अपील पर उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है।

कैदियों को मताधिकार से वंचित करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **अंग्रेज़ी ज़बती अधिनियम, 1870:** इसने राजद्रोह या गुंडागर्दी के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया।
 - इसके पीछे तर्क यह था कि एक बार जब किसी को ऐसे गंभीर अपराधों के लिये दोषी ठहराया जाता है, तो वह **मताधिकार सहित अपने अन्य अधिकारों से भी वंचित हो जाता है।**
- **भारत सरकार अधिनियम, 1935:** परिवहन, दंडात्मक दासता या कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्तियों को मतदान करने से रोक दिया गया था।
 - हालाँकि, RPA, 1951 ने इस तरह की मताधिकार से वंचिता को परिभाषित करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें नरिदोषित किया गया है कि जेल में बंद व्यक्ति, कारावास या आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं या अन्यथा **वधिपूर्ण पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी)** में नरिदोषित हैं, मतदान के लिये अयोग्य हैं। यह प्रावधान केवल नविरक हरिसत में रखे गए लोगों को नषिकाषित करता है।

क्या वचिराधीन कैदियों के पास मताधिकार होना चाहिये?

वचिराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के पक्ष में तर्क	वचिराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के विपक्ष में तर्क
■ नरिदोषता की धारणा: अपराध सिद्ध होने तक वचिराधीन कैदियों को नरिदोष माना जाता है। उन्हें मताधिकार से वंचित करने को दोषसिद्धि से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। ○ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति केवल हरिसत की स्थिति के आधार पर मताधिकार से वंचित करने को नरिदोषता की धारणा का उल्लंघन मानती है। ○ सर्वोच्च न्यायालय ने वचिराधीन कैदियों को वोट देने से रोकना उन्हें दो बार सज़ा देने के समान माना।	■ सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: वचिराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने से मतदाताओं को डराने-धमकाने या चुनावी हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएँ बढ़ सकती हैं, विशेषकर गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।
■ प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी: वचिराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि उनके हितों और दृष्टिकोणों का राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें जेल की स्थिति एवं आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतियाँ भी शामिल हैं।	■ तार्किक चुनौतियाँ: जेल के वातावरण में वचिराधीन कैदियों के लिये मतदान की सुविधा चुनाव अधिकारियों के लिये तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है, जैसे मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और प्रपीड़न को रोकना।
■ कैदियों ने सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है और स्वेच्छा से स्वयं को सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा है।	■ सामाजिक व्यवस्था पर समझौता नहीं किया जा सकता।
■ मताधिकार से वंचित चिंताएँ: वचिराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिये, जिनमें परीक्षण-पूर्व हरिसत में असमान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।	■ नरिदोष की अस्थायी प्रकृति: वचिराधीन कैदी अस्थायी हरिसत की स्थिति में हैं और मतदान के अधिकार संभावित रूप से बरी होने या सज़ा पूर्ण होने पर बहाल किये जा सकते हैं।
■ मताधिकार: आलोचकों का तर्क है कि वचिराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है। ○ दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा जैसे देशों के विपरीत, प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति सज़ा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है। ■ इसके अतिरिक्त, वचिराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति देने से ज़मानत पर छोटे दोषियों, जो मतदान कर सकते हैं और उन वचिराधीन कैदियों, जो मतदान नहीं कर सकते हैं, के बीच अंतर उत्पन्न होता है, जिससे अतार्किक भेदभाव होता है।	■ सज़ा और नविरण: कुछ लोगों का तर्क है कि मतदान सहित अधिकारों की हानि, आपराधिक कार्यवाही में शामिल होने के परिणामस्वरूप होती है और आपराधिक व्यवहार के विरुद्ध नविरक के रूप में कार्य कर सकती है।

भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में कानूनी पूर्वाधिकार:

- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला, 1975: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और नृषिपक्ष चुनाव भारत के संविधान की 'बुनियादी संरचना' का एक हिस्सा है और ऐसा कोई भी कानून या नीति जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगी, उसे रद्द किया जा सकता है।
- प्रवीण कुमार चौधरी बनाम चुनाव आयोग और अन्य मामले: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार न तो संविधानिक है और न ही मौलिक, बल्कि यह केवल वैधानिक अधिकार है।
 - न्यायालय ने धारा 62 (5) की संविधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पुष्ट की है कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
- पीपुल्स यूनिन ऑफ सविल लैबिरीटीज़ (PUCL) बनाम यूनिन ऑफ इंडिया केस, 2003: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया एक संविधानिक अधिकार है। लेकिन मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
 - मतपत्र के माध्यम से चुनाव करने का अधिकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है।
- अनुकूल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले, 1997: न्यायालय ने RPA की धारा 62(5) की संविधानिकता को बरकरार रखा, जो कैदियों को मताधिकार से वंचित करती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मुख्य औचित्यों का हवाला दिया:
 - कैदी अपने आचरण के कारण कुछ स्वतंत्रताएँ खो देते हैं।
 - कैदियों के मतदान के लिये बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण तार्किक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना।

आगे की राह

- जैसे-जैसे चुनावी प्रणालियाँ बदलती हैं और समावेशिता बढ़ती है, वैसे-वैसे जेल में बंद कैदियों के बीच राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ, जैसे मोबाइल वोटिंग इकाइयाँ या अनुपस्थिति मतपत्र (Absentee Ballots), को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- कैदियों के लिये मतदान के अधिकार के महत्व एवं पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के लक्ष्य को देखते हुए कैदियों को अत्यधिक हाशिये पर धकेलने के बजाय नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के अवसर देने पर जोर दिया जाना चाहिये।
- मतदान के अधिकार के संदर्भ में दोषी ठहराए गए कैदियों और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के बीच अंतर किया जाना चाहिये।
- भारतीय संविधान में मतदान को एक मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty-FD) बनाने और बदले में मतदान को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिये स्वर्ण सहि समिति, 1976 की सिफारिश को शामिल किया जाना चाहिये।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. भारत में कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के कानूनों के ऐतिहासिक संदर्भ और विकास की जाँच करें। इन कानूनों ने विचाराधीन कैदियों और दोषियों की लोकतांत्रिक भागीदारी को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, नमिलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

